

अपील सूचना अधिकार संख्या 10/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

09-01-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 25.12.15 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:-

1. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 21.11.14 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर/आर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र प्राप्त करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।
3. पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन का जबाब देने तक जो जो कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. आपके पत्रांक 618 दिनांक 21.04.14 पर नगरपरिषद आयुक्त श्रीगंगानगर द्वारा जो जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थी के बयान दर्ज न किये जाने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. आपके पत्रांक 618 दिनांक 21.04.14 की पालना आयुक्त नगरपरिषद श्रीगंगानगर द्वारा पूर्णतया न करने पर उसके विरुद्ध आदेशों की अवहेलना करने पर जिस विभागीय नियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गयी, उस नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 25.12.15 से चाही गई उक्त 6 बिन्दुओं की सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने जान बूझकर उपलब्ध नहीं करवाई है जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 125 दि0 27.01.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पंजिकृत पत्र सं0 61 दिनांक 11.01.16 के द्वारा समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 61 दिनांक 11.01.2016 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया है:-

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना के संबंध में लेख है कि:-

बिन्दू संख्या 1 से 6 के तहत चाही गई सूचना के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेषण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते हैं।

श्रीगंगानगर
जिला कलेक्टर

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं० 1 से 6 तक की जो सूचनाएं चाही गई है वह कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नहीं है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 11.01.2016 सही है फिर भी सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतु आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथि नियत कर अपीलार्थी को सूचित करें और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमिल दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 09.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ज्ञान राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

234-35
25-117